सीसीटीएनएस/ अति महत्वपूर्ण।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–2, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002, उत्तर प्रदेश

पत्रांकःटीएस–सीसीटीएनएस–82/2012 दिनांकःजुलाई 23, 2019

सेवा में,

1. अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र उ0प्र0।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक समस्त जनपद उ0प्र0।
4. समस्त जोन/ परिक्षेत्र/ जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः– पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी, उ0प्र0पुलिस के विभागीय पोर्टल एवं UPCOP Mobile app के माध्यम से आम नागरिकों की सेवाओं में जनपद के डीसीआरबी एवं एलआईयू द्वारा समयान्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

कृपया पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी, उ0प्र0पुलिस के विभागीय पोर्टल **एवं** UPCOP Mobile app के माध्यम से आम नागरिकों की सेवाओं के लम्बित प्रकरणों की इस मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि 1–किरायेदार सत्यापन अनुरोध, 2–घरेलू सहायता सत्यापन अनुरोध, 3–चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध, 4–कर्मचारी सत्यापन अनुरोध इत्यादि महत्वपूर्ण सत्यापन में **थाना स्तर से की गयी जॉचोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही पर डी0सी0आर0बी0 एवं एल0आई0यू0 प्रभारी द्वारा अपेक्षित रूचि नहीं ली जा रही है** जिससे प्रकरण निर्धारित समयावधि में निस्तारित नहीं हो रहे हैं।

2. उपरोक्त के सन्दर्भ में जनपदीय पुलिस प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि **डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डी0सी0आर0बी0 प्रभारी एवं एल0आई0यू0 प्रभारी की संयुक्त बैठक कर सभी संबंधित को पूर्व में सीसीटीएनएस पोर्टल की प्रदत्त यूजर आई0डी0 व पासवर्ड की जानकारी दें एवं प्रतिदिन इसका प्रयोग कर पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को देखें और कार्यवाही करें।**

23.7.19

(ओ0पी0सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री कृष्ण मुरारी, प्रोग्रामर–ग्रेड–2 उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।
2. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित, मेल द्वारा पत्र निर्गत किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।